नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 59/2021

Dt- 23-01-2021

अपर मुख्य सचिव,

25.01.21

समाज कल्याण विभाग,

बिहार, पटना।

विषयः– **''सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना'' के अंतर्गत पेंशनधारियों का डेटाबेस ई–लाभार्थी पोर्टल पर डाटा संग्रहण हेतु पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने के संबंध में।**

महाशय,

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनधारियों का डेटाबेस ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड किया गया हैं, जिसमें नाम, पता, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि संकलित है। उक्त डाटा को पी.एफ.एम.एस. के द्वारा सत्यापन के बाद सत्यापित खाता में पेंशन का भुगतान किया जाता है।

प्राप्त सुचनानुसार प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि पेशनधारियों का बैंक खाता एवं डाटावेस में नाम, आधार संख्या, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड के अंतर एवं अन्य कारणों से पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसे पेशनधारी हैं, जिनका पी.एफ.एम.एस. से बैंक खाता स्वीकृत हैं, लेकिन प्रखंड अथवा जिला स्तर पर सत्यापन लंबित होने की वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा हैं तथा अधिकांश ऐसे पेंशनधारी हैं, जिनका पी.एफ.एम.एस. अस्वीकृत है।

उदाहरण के तौर पर मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में लगभग 650, झंझारपुर नगर पंचायत में 168 मधुबनी जिला में यह संख्या लगभग 15–20 हजार हो सकती है। इसी तरह पूरे बिहार में इसकी संख्या लाखों में हो सकती हैं।

कुछ लाभुकों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा अधिकांश जो लाभुक जीवित हैं, वो ई–लाभार्थी पोर्टल पर आधार सीड होने की वजह से नये पेंशन योजना में भी आवेदन नहीं कर पा रहें हैं।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in

ऐसे लाभुकों के लिए पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर डाटा संग्रह कर अग्रेतर कार्रवाई संलग्न विभागीय पत्र ज्ञापांक 963, दिनांक 09.07.2018 के अनुसार किये जाने की आवश्यकता हैं, लेकिन पत्र जारी होने के दो वर्ष बाद भी ऐसी पहल किसी भी जिला, प्रखंड अथवा ग्राम पंचायत में देखने को नहीं मिला हैं।

अतः अनुरोध है कि जनहित में उपर वर्णित तथ्यों के आलोक में कोविड–19 के गाइडलाइन्स का अनुपालन कराते हुए पंचायत स्तर पर कैम्प लगाने हेतु समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे।

नव वर्ष की मंगलकामनाओं के साथ!

भवदीय,

Nitish Mishra

(नीतीश मिश्रा) 23.1.2021

(संलग्नः– विभागीय पत्र ज्ञापांक 969, दिनांक 09.07.2018 की छायाप्रति।)